[दिल्ली राजपत्र, भाग 4, असाधारण में प्रकाशनार्थ]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वित्त (राजस्व-1) विभाग

दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली - 110002

सं0फा0 03(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/ 376 दिनांक: 30/6/17

अधिसूचना सं0 16/2017- राज्य कर (दर)

सं0फा0 03(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,--

(i) संयुक्त राष्ट्र या विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन; और

(ii) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या राजनयिक अभिकर्ता या उसमें पद स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी,

इस धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विनिर्दिष्ट करते हैं :--

(क) संयुक्त राष्ट्र या कोई विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र या उस विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों पर संदत्त राज्य कर के प्रतिदाय का दावा करने के हकदार किसी ऐसे प्रमाणपत्र के अध्यधीन होंगे कि माल और सेवाओं का उपयोग संयुक्त राष्ट्र या विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शासकीय उपयोग के लिए किया गया है या उपयोग किया जाना आशयित है ।

(ख) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या उसमें पद स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों पर संदत्त राज्य कर के प्रतिदाय का दावा करने के निम्नलिखित के अध्यधीन हकदार होंगे,-

(i) कि भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या राजनयिक अभिकर्ता या उसमें पद स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र में यथा अनुध्यात यथा अनुबंधित राज्य कर के प्रतिदाय के लिए हकदार होंगे;

(ii) कि सेवाओं की पूर्ति की दशा में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद का प्रमुख या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसी मिशन या पद का कोई व्यक्ति उसके द्वारा या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एक मूल वचनबंध यह कथन करते हुए देगा कि सेवा की पूर्ति उक्त विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद के शासकीय प्रयोजन

के लिए या उक्त राजनयिक अभिकर्ता या कैरियर कौंसलीय अधिकारी या उसके कुटुंब के सदस्यों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्राप्त की गई है ;

(iii) कि माल की पूर्ति की दशा में संबंधित राजनयिक मिशन या कौंसल या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी यह प्रमाणपत्र पेश करेगा कि,-

(I) माल का उपयोग मिशन या कौंसल के लिए, यथास्थिति, रखा गया है या किया जा रहा है;

(II) माल की पूर्ति आगे नहीं की जाएगी या माल की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति से पूर्व माल का अन्यथा व्ययन कर दिया जाएगा; और

(III) खंड (I) की अननुपालना की दशा में राजनयिक या कौंसलीय मिशन उनको संदत्त रकम के प्रतिदाय का वापस संदाय करेगा ;

(iv) उस दशा में जब भारत में किसी भी विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद को प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा उसे तत्पश्चात् प्रत्याहरण करने का विनिश्चय किया जाता है तो उसे विदेशी राजनयिक मिशन कौंसलीय पद ऐसे प्रमाणपत्र के प्रत्याहरण को संसूचित किया जाएगा ।

(v) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद को शासकीय प्रयोजन के लिए या उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए या उनके कुटुंब के सदस्यों के उपयोग के लिए प्रदत्त राज्य कर का संपूर्ण प्रतिदाय ऐसे प्रमापत्र के प्रत्याहरण की तारीख से उपलभ्य नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण--इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन" से संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अभिप्रेत है जिसे उक्त अधिनियम की अनुसूची के उपबंध लागू होते हैं ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(एस० के० गुप्ता)
उप-सचिव -VI (वित्त)

सं0फा0 03(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/ 376 दिनांक: 30/6/17

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
4. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
5. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
6. नि.स. नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
7. आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली ।
8. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
10. गार्ड फाइल ।

(एस० के० गुप्ता)
उप-सचिव -VI (वित्त)

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No. F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/376 Dated: 30.06.17

Notification No.16/2017-State Tax (Rate)

No.F3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18 - In exercise of the powers conferred by section 55 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby specifies, -

(i) United Nations or a specified international organisation; and
(ii) Foreign diplomatic mission or consular post in India, or diplomatic agents or career consular officers posted therein,

for the purposes of the said section subject to the following conditions:-

(a) United Nations or a specified international organisation shall be entitled to claim refund of central tax paid on the supplies of goods or services or both received by them subject to a certificate from United Nations or that specified international organisation that the goods and services have been used or are intended to be used for official use of the United Nations or the specified international organisation.

(b) Foreign diplomatic mission or consular post in India, or diplomatic agents or career consular officers posted therein shall be entitled to claim refund of central tax paid on the supplies of goods or services or both received by them subject to, -

(i) that the foreign diplomatic mission or consular post in India, or diplomatic agents or career consular officers posted therein, are entitled to refund of central tax, as stipulated in the certificate issued by the Protocol Division of the Ministry of External Affairs, based on the principle of reciprocity;

(ii) that in case of supply of services, the head of the foreign diplomatic mission or consular post, or any person of such mission or post authorised by him, shall furnish an undertaking in original, signed by him or the authorised person, stating that the supply of services received are for official purpose of the said foreign diplomatic mission or consular post; or for personal use of the said diplomatic agent or career consular officer or members of his/her family;

(iii) that in case of supply of goods, concerned diplomatic mission or consulate or an officer duly authorized by him will produce a certificate that,–

(I) the goods have been put to use, or are in the use, as the case may be, of the mission or consulate;

(II) the goods will not be supplied further or otherwise disposed of before the expiry of three years from the date of receipt of the goods; and

(III) in the event of non-compliance of clause (I), the diplomatic or consular mission will pay back the refund amount paid to them;

(iv) in case the Protocol Division of the Ministry of External Affairs, after having issued a certificate to any foreign diplomatic mission or consular post in India, decides to withdraw the same subsequently, it shall communicate the withdrawal of such certificate to the foreign diplomatic mission or consular post;

(v) the refund of the whole of the central tax granted to the foreign diplomatic mission or consular post in India for official purpose or for the personal use or use of their family members shall not be available from the date of withdrawal of such certificate.

Explanation. - For the purposes of this notification, unless the context otherwise requires,"specified international organisation" means an international organisation declared by the Central Government in pursuance of section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities Act) 1947 (46 of 1947), to which the provisions of the Schedule to the said Act apply.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017

By order and in the name of the Lt.
Governor of the National Capital
Territory of Delhi

(S.K. Gupta)
Dy. Secretary VI (Finance)

No. F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 376 Dated: 30/6/17

Copy forwarded for information to:-
1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi in duplicate with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.

2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
3. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
4. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
5. The Commissioner, Value Added Tax, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
10. Guard File.

(S.K. Gupta)
Dy. Secretary VI (Finance)

OVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
4TH LEVEL, 'A' WING, DELHI SECRETARIAT
I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

F.No.3(15)/Fin(Rev.-I)/2017-2018/DSVI/ Dated, the 30/06/2017

CERTIFICATE

It is hereby certified that the contents of the soft copy as well as the hard copy as given in notifications 3(15)/Fin(Rev.-I)/2017-2018/DSVI/376 dated 30/06/2017, are the same and also approved by the competent authority. A copy of the aforesaid notification has been e-mailed to (gadegazette.delhi@gov.in) in the (PDF/JPEG/JPG/PNG) as well as MS word format.

(S.K.GUPTA)
Deputy Secretary-VI (Finance)
9810076123